राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1815/2024

संजय

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वनपाल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर।
4. डीसीएफ, धौलपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.05.2024
आदेश की दिनांक : 19.09.2024
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्रपाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्षः– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 08.05.2024 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को बहाल करते हुये पुनः पदस्थापित कर समस्त वेतन आदि के लाभ प्रदान किये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वनरक्षक के पद पर आदेश दिनांक 31.03.2016 के द्वारा हुई थी और उसे डीसीएफ, धौलपुर नियुक्त किया गया। अपीलार्थी विभाग में सबसे निम्नतर पद वर्ग में कार्यरत है। अपीलार्थी को कोई सुविधायें उपलब्ध नहीं की गई। जबकि वह संतोषजनक कार्य कर रहा है, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने दिनांक 08.05.2024 को अभ्यावेदन डीसीएफ, धौलपुर को दिया। परंतु रेंजर द्वारा सरमथुरा द्वारा परेशान किया गया और बिना विचार किये अपीलार्थी को कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर के आदेश दिनांक 08.05.2024 द्वारा निलंबित कर दिया गया और मुख्यालय भरतपुर रखा गया। जबकि अपीलार्थी

विभाग में सबसे निम्नतर पद पर कार्यरत है और किसी भी अधिकारी द्वारा उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई, परंतु उक्त आदेश के द्वारा अपीलार्थी को निलंबित कर दिया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी को निलंबन आदेश में जिन तथ्यों के आधार पर निलंबित किया गया है, वह कार्य अपीलार्थी द्वारा नहीं किया गया है और इस प्रकार अपीलार्थी को निलंबित करते हुये मुख्यालय बदला गया। जबकि अपीलार्थी वनरक्षक के पद पर कार्यरत है और उसकी वरिष्ठता संभाग स्तर पर ही संधारित होती है। संभाग परिवर्तित होने से उसकी वरिष्ठता पर प्रतिकूल प्रभाव पड सकता है। अमरलाल मीणा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य वाले मामले में ऐसे पदस्थापन/स्थानांतरण को सही नहीं माना है और इस प्रकार अपीलार्थी को मात्र हैरान और परेशान करने के आशय से आलोच्य आदेश के द्वारा निलंबित किया गया है।

अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 08.05.2024 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को बहाल करते हुये पुनः पदस्थापित कर समस्त वेतन आदि के लाभ प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी वनरक्षक के पद पर वन विभाग में दिनांक 31.03.2016 से ही नाका खोदिया, रेंज सरमथुरा कार्यालय उप वनसंरक्षक, धौलपुर में एक ही स्थान पर पदस्थापित है। अवैध अतिक्रमण का कोई प्रकरण न ही दर्ज किया गया है और न ही रोकने की कोई प्रभावी कार्यवाही की गई और कराये गये विकास कार्यों में अनियमितता मौके पर कार्य पूर्ण न करने और कागजों में बिल बनाकर बिल पारित करने व सरकारी धनराशि का स्वयं के व परिजनों के खाते में डालकर दुरूपयोग कर वित्तीय हानि पहुंचाई गई है। वृक्षारोपण का कार्य आदि भी गुणवत्ता मापदण्ड अनुसार नहीं किया गया है। अवैध खनन भी पाया गया है। अपीलार्थी द्वारा संबंधित कार्मिक द्वारा सरकारी गाडी का उपयोग लेने के लिये एवं सुविधा लेने के लिये कोई आवश्यकता एवं मांग नहीं की गई। पक्की दीवार निर्माण कार्य मडासिल 1000 मीटर योजना आरएफबीडीपी का निरीक्षण किया गया। दीवार फैंसिंग कार्य के बिल पारित कर भुगतान उठाने के बाद तक कार्य अपूर्ण पाया गया और इस प्रकार अनियमितताओं, लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों का पदस्थापन और उनके विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये सक्षम

अधिकारी है। इस प्रकार जारी किया गया निलंबन आदेश नियमानुसार है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत करते हुये बहस की है कि अपीलार्थी को नियम, 1958 के नियम 13(1)(2) के अंतर्गत आदेश दिनांक 08.05.2024 के द्वारा निलंबित किया गया है, जिसे अधिकरण द्वारा अंतिम आदेश दिनांक 21.05.2024 जारी किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को निलंबन हुये तीन महिने से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध आदिनांक तक कोई आरोप पत्र नहीं दिया गया है। जबकि सीसीए नियमों के अनुसार आरोप पत्र जारी करना अनिवार्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तीन माह से अधिक समय तक निलंबित रहने के पश्चात् भी यदि आरोप पत्र विभाग द्वारा नहीं दिया जाता है तो इस तरह तीन माह से अधिक निलंबित रखा जाना माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अजय कुमार चौधरी वाले मामले में उचित नहीं माना है और अपीलार्थी को तीन माह से अधिक का समय निलंबित हुये बीत चुका है और इस प्रकार अपीलार्थी को इतने लम्बे समय तक निलंबित रखा जाना न्यायोचित नहीं है। इसी प्रकार माननीय अधिकरण द्वारा भी रमन मीणा व अन्य वाले मामले में ऐसे बिना आरोप पत्र दिये अधिक समय तक निलंबित रखा जाना उचित नहीं माना है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 08.05.2024 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 (इसके बाद संक्षेप में सीसीए नियम के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के नियम 13 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए निलंबित कर दिया गया। जहां तक अपीलार्थी को आदेश दिनांक 08.05.2024 के द्वारा निलंबित किये जाने उपरांत प्रत्यर्थी विभाग द्वारा तीन माह माह की अवधि में अपीलार्थी को आरोप पत्र नहीं दिये जाने का प्रश्न है, प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील के जवाब में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलार्थी को उक्त आदेश के संबंध में आरोप पत्र दिया जा चुका है और न ही ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 08.05.2024 के द्वारा निलंबित किया गया है और अधिकरण के समक्ष बहस के दौरान तक

कोई आरोप पत्र नहीं दिया गया है, जो लगभग 5 माह से अधिक अवधि उपरांत भी अपीलार्थी को आरोप पत्र नहीं दिया गया है। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अजय कुमार चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य (2015) 7 एससीसी 291 में पारित आदेश दिनांक 16.02.2015 जिसमें निलंबन के तीन माह पूर्ण होने पर आरोप पत्र नहीं दिये जाने के संबंध में निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :–

> *"We, therefore, direct that the currency of a Suspension Order should not extend beyond three months if within this period the Memorandum of Charges/Chargesheet is not served on the delinquent officer/employee; if the Memorandum of Charges/Chargesheet is served a reasoned order must be passed for the extension of the suspension. As in the case in hand, the Government is free to transfer the concerned person to any Department in any of its offices within or outside the State so as to sever any local or personal contact that he may have and which he may misuse for obstructing the investigation against him. The Government may also prohibit him from contacting any person, or handling records and documents till the stage of his having to prepare his defence. We think this will adequately safeguard the universally recognized principle of human dignity and the right to a speedy trial and shall also preserve the interest of the Government in the prosecution. We recognize that previous Constitution Benches have been reluctant to quash proceedings on the grounds of delay, and to set time limits to their duration. However, the imposition of a limit on the period of suspension has not been discussed in prior case law, and would not be contrary to the interests of justice. Furthermore, the direction of the Central Vigilance Commission that pending a criminal investigation departmental proceedings are to be held in abeyance stands superseded in view of the stand adopted by us.*
>
> *So far as the facts of the present case are concerned, the Appellant has now been served with a Chargesheet, and, therefore, these directions may not be relevant to him any longer. However, if the Appellant is so advised he may challenge his continued suspension in*

any manner known to law, and this action of the Respondents will be subject to judicial review."

इस प्रकार उक्त न्यायिक प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार अपीलार्थी को लम्बे समय तक निलंबित रखा जाना उक्त विधि के विरूद्ध है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं उक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 08.05.2024 को निरस्त किया जाता है और अपीलार्थी को बहाल किये जाने का आदेश दिया जाता है। अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 21.05.2024 की पुष्टि (confirm) की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य